

Form No-111

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किरम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

शुशीप कोट I.P.D बनाम

राजकार

नम्बर 34 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 5.2.3

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
<u>5/10/2021</u>	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>गजनिंदर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.मां.सं.अ./2021/ दिनांक <u>5.10.2021</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के सभ अभियान-2021 कैम्प कोट ग्राम पंचायत <u>ब्यालीवाला</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>I.P.D</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2025-2026</u> के खाता सं. <u>16</u> में <u>शुशीप कोट पट्टि गुरपाल सिंह जाति जशीत</u> <u>धा-ई खेतिया रदन S.B.D. शाखा</u> <u>गजनिंदर</u> के स्थान पर <u>वर्तमान में के का पीकले डीने के</u> <u>बाजा रदन S.D. शाखा</u> <u>गजनिंदर</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>गजनिंदर</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>I.P.D</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2025-2026</u> के खाता सं. <u>16</u> में <u>शुशीप कोट पट्टि</u> <u>गुरपाल सिंह जाति जशीत धा-ई खेतिया</u> <u>रदन S.B.D. शाखा गजनिंदर</u> के स्थान पर <u>वर्तमान में के का पीकले डीने के का रदन</u> <u>S.D. शाखा गजनिंदर</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदरतूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर
 ब्यालीवाला

